FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

चोरवाराम बनाम आणदाराम

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR Act नं. 264/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नेरपत पुनड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/10/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण 3 नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी निगर कार्यों में व्यस्थ होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/12/2020 को पेश हो। [initials]	
16/12/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनु० श्रीमान् पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्थ होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-21/12/21 को पेश हो। [initials]	
21/12/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी निगर कार्यों में व्यस्थ होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक-30/03/2021 को पेश हो। [initials] //	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:12:21 IST
Reason: SelfAttested

30/03/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/2021 को पेश हो।

24/06/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 18/11/21 को पेश हो।

18/11/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/11/2021 को पेश हो।

30/11/2021 पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत-डोमरिया में रखी गई। प्रार्थी वकील उप०। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के वकील अब की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि सेढा लग आई हुई है प्रार्थी व विपक्षीगणों के सेढो के मध्य जो पुरानी माटे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढों का सही ज्ञान करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेयमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेयमबन्दी आवेदन स्वीकार किया [illegible] तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता [illegible] स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी [illegible] प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी नेयमबन्दी [illegible] कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:12:21 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1388 दिनांकः— 30/11/21

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. चौखाराम पुत्र नवलाराम वगैरा 4
जाति जाट, निवासी लुणाड़ा
पटवार मण्डल लुणाड़ा
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. अणदाराम पुत्र रूगाराम वगैरा 19
जाति जाट, निवासी लुणाड़ा
पटवार मण्डल लुणाड़ा
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 264 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लुणाड़ा, पटवार मण्डल – लुणाड़ा , तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1077, 1098, 1099 रकबा क्रमशः 8.3489, 0.0162, 1.8931 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /— जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु
दिनांकः— 30/11/21

क्रमांक / वाद / 2021 / 1389-93

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

2. तहसीलदार बायतु
3. पटवारी हल्का खींपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री चौखाराम पुत्र नवलाराम वगैरा 4
5. विप्रार्थी श्री अणदाराम पुत्र रूगाराम वगैरा 19
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:12:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु